फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती राधू देवी भील बनाम रा० राज जरिए तहसीलदार मा० मांडल

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र धारा 136 R.T.A नं० 24 सन 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.2.24	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 19.3.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
19.3.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ जिसे शा० प० किया गया। वकील प्रार्थिया ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थिया की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। विवादित आराजियात ग्राम बाज्या की खेड़ी परवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थिया की माता श्रीमती नन्दु पत्नी मांगु के बजाय प्रार्थिया की माता का सही नाम श्रीमती नन्दु पत्नी कालु भील राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित करवाना चाहती है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल 2047-2050 से एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति से होती है। जमाबंदी संवत 20[illegible] जमाबंदियो के राजस्व रिकॉर्ड मे श्रीमती नंदु [illegible] सा. ऽह खातेदार अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। अत:	

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:28:29 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	आदेश ::	
	प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.T.A. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बाज्या की खेड़ी परवार हल्का बागोर II तहसील माण्डल मे स्थित खाता संख्या 146 मे अंकित आराजी नम्बर 2173, 2174, 2175, 2176 कुल किता 04 कुल रकबा 1.0497 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थिया की माता श्रीमती नन्दु पत्नी मांगू के बजाय प्रार्थिया की माता श्रीमती नन्दु पत्नी काल्लू भील राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी माण्डल	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:28:29 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner